

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
16/19	प्रा.प्रा. 212	भाउपुर	इकडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भगताबाई	बनाम	रमेश

वकील :- सुधी गोपाल भार्गव      आदेश पत्रक      वकील :-

दिनांक      कार्यवाही एवं आदेश      विविध संदर्भ

6/2/09

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा.प्रा. अंतर्गत धारा 212 RTI विच्छेद अप्रार्थी/वादी के उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सारिहता को अवलोकन किया, प्रमाण दर्ज सजिस्टर किया जाने तथा अप्रार्थी/वादी को पारिधे समन वलक कर पत्रावली दिनांक 11/3/09 को पेश हो

11/3/09

आज पीढारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/04/09 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारा),

9/4/09

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पेश कही समन-पत्रावली है करते पत्रावली दिनांक 23/4/09 को पेश हो।

रमेश

23/4/09

आज पीढारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/5/09 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारा),

14/5/09

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 को क्रम 2 से श्री नारायण लाल - वीरसिंघा एडवो. को वकालत नामा पेश हुआ, पत्रावली देह समन-पत्रावली है करते पत्रावली दिनांक 25/6/09 को पेश हो।

72

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना उपस्थित। वकील प्रार्थना को तीन बार रुक-रुक कर आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम्य हाजरी अदम्य पंरको शकीक किया जाता है। पत्रावली पेशल शुमार शेकर दारिकल दपतर हो।

सुप्रीम अधिकारी  
 (नाम)